

यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान
 दायरा दिनांक 08.11.2024
 अपील संख्या 18/24

पीठासीन अधिकारी :- श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

- 1-सीताराम पुत्र प्रीतम जाति गडरिया निवासी तिलगवां हाल गुवाडी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
- 2-वाली पुत्र प्रीतम जाति गडरिया निवासी तिलगवां तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
- 3-चैयति पुत्री प्रीतम जाति गडरिया निवासी तिलगवां हाल गुवाडी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान अपीलान्त

बनाम

- 1-सम्पत पुत्र ठकरी जाति गडरिया निवासी तिलगवां तहसील शाहाबाद जिला बारां फोट
- 1/1-तोरण पुत्र सम्पत जाति गडरिया निवासी तिलगवां तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
- 1/2-मोहनसिंह पुत्र सम्पत जाति गडरिया निवासी तिलगवां तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
- 1/3-रामहेत पुत्र सम्पत जाति गडरिया निवासी तिलगवां तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
- 1/4-अंगूरी पुत्री सम्पत जाति गडरिया निवासी तिलगवां तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान पत्नि हरगोविन्द जाति गडरिया निवासी अमरपुर तहसील पोहरी जिला शिवपुरी म0प्र0
- 1/5-राधा पुत्री सम्पत जाति गडरिया निवासी तिलगवां तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान पत्नि जगदीश जाति गडरिया निवासी दीगोदी तहसील कोलारस जिला शिवपुरी म0प्र0
- 1/6-उर्मिला पुत्री सम्पत जाति गडरिया निवासी तिलगवां तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान पत्नि हरिओम जाति गडरिया निवासी मुडेरी तहसील कोलारस जिला शिवपुरी म0प्र0
- 2-मनीषा पत्नि रामहेत जाति गडरिया निवासी तिलगवां तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
- 3-पूरम पुत्र ठकरी जाति गडरिया निवासी तिलगवां तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान फोट
- 4-सरपंच ग्राम पंचायत कस्बानोनेरा हाल ग्राम पंचायत बमनगवां तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
- 5-सरकार जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

अपील विरुद्ध फोती नामान्तरकरण नम्बर 22 दि0 27.10.1972 ग्राम तिलगवां तह0 शाहाबाद निर्णय अधीनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत कस्बानोनेरा हाल बमनगवां तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान



रेस्पोजेन्ट

23.06.2025
 उपखण्ड अधिकारी
 शाहाबाद

निर्णय दिनांक 23.06.2025

उपस्थित

अपीलान्ट की ओर से—श्री धीरेन्द्र कुमार माली एडवोकेट
रेस्पो. की ओर से — श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट

अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम तिलगवां पटवार हल्का बमनगवां तहसील शाहाबाद जमाबंदी अनुसार खाता संख्या नई 74 पुरानी 73 की आराजी ख0नं0 33 रकबा 5.16 बीघा, ख0नं0 36 रकबा 1.04 बीघा, ख0नं0 37 रकबा 0.10 बीघा, ख0नं0 66 रकबा 3.07 बीघा, ख0नं0 324 रकबा 0.17 बीघा व ख0नं0 302 रकबा 1.02 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 12.16 बीघा स्थित है, उक्त भूमि जमाबंदी सम्वत 2020-24 तथा 2027-30 में अपीलान्ट तथा रेस्पो0 के पिता ठकरी पुत्र वल्देवा के नाम दर्ज रही है। ठकरी पुत्र वल्देवा के फोट हाने पर ग्राम पंचायत कस्बानोनेरा तहसील शाहाबाद द्वारा नामा0 सं0 22 दिनांक 27.10.1972 को ठकरी के पुत्र सम्पत व पूरम के नाम तस्दीक कर दिया और ठकरी का एक और अन्य जीवित पुत्र प्रीतम का नाम छोड़ दिया। प्रीतम की मृत्यु दिनांक 06.05.1995 को हो चुकी है जिसके जिसे अपीलान्ट 1 ता 3 वारिस मौजूद हैं, इस कारण प्रश्नगत नामा0 निरस्त किये जाने योग्य है। सम्पत पुत्र ठकरी की पुत्रियां होने के कारण रेस्पो0 क्रम 1/4 ता 1/6 को शामिल किया है। प्रश्नगत नामा0 की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई। खातेदार ठकरी के नाम ग्राम मण्डीबडवाली में स्थित कृषि भूमि विरासत में अपीलान्ट के नाम दर्ज किये गये हैं, जिसमें सम्पत व पूरम भी सहखातेदार दर्ज हैं। दिनांक 19.08.24 को प्रश्नगत नामा0 की प्रथम जानकारी अपीलान्ट को हुई है, तब से अपील अन्दर मियाद मानी जावे। अतः अपील पेश कर श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रश्नगत नामा0 नं0 22 दिनांक 27.10.1972 ग्राम तिलगवां तहसील शाहाबाद को निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट का हिस्सा 1/3 दर्ज करते हुये पुनः नामा0 दर्ज के आदेश पारित फरमावें। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी की गई। रेस्पो0 क्रम 1 लगायत 3 की ओर से अपील को अनापत्ति किया गया। सुना गया, रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की आपत्ति है कि खातेदार ठकरी पुत्र वल्देवा के खाते की आराजी ख0नं0 33 रकबा 5.16 बीघा, ख0नं0 36 रकबा 1.04 बीघा, ख0नं0 37 रकबा 0.10 बीघा, ख0नं0 66 रकबा 3.07 बीघा, ख0नं0 324 रकबा 0.17 बीघा व ख0नं0 302 रकबा 1.02 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 12.16 बीघा ग्राम तिलगवां तहसील शाहाबाद को प्रश्नगत नामा0 के जरिये पुत्र सम्पत व पूरम के नाम दर्ज कर दिया गया है, जबकि उस समय ठकरी का तीसरा पुत्र प्रीतम भी मौजूद था, इस कारण प्रश्नगत नामा0 सम्पत पूरम व प्रीतम तीनों पुत्रों के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज किया जाना चाहिये था। अपीलान्ट ने ग्राम मण्डीबडवाली तहसील शाहाबाद के नामा0 नं0 37 की नकल पेश की है, जिससे खातेदार ठकरी के 3 पुत्र प्रीतम सम्पत पूरम का होना प्रमाणित है।

23.06.2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामा0नं0 22 दिनांक 27.10.1972 ग्राम तिलगवां तहसील शाहाबाद को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहावाद को रिमाण्ड किया जाता है कि मृत खातेदार ठकरी पुत्र वल्देवा कोम गडरिया सा0 तिलगवां तहसील शाहावाद के वारिसान की जांच कर अपीलाण्ट को सुनकर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करें। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

23.06.2025
मुख्य अधिकारी
शाहाबाद